न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

थाना–पत्र सं.	धाराअंतर्गत	ग्राम	तहसील
20 106/22	88,89,90,91,92,53, 188 RTA	बामला	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जितेन्द्र नागर वगै0	बनाम	बाबूलाल नागर

वकील :–	श्री ओम भारद्वाज एड0	आदेश पत्रक	वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
04.07.2022	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,53, 188 आर.टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.08.2022 को पेश हो।	
18.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी क्र0 1 की ओर से श्री संजय नागर एड0 का वकालतनामा पेश हुआ। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14.10.22 को पेश हो।	
14.10.22	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप0। प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। नकल वकील वादी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 1.12.22 को पेश हो।	
1-12-22	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप0। साक्ष्य वादी उप0 नहीं। समय चाहा है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 12-1-23 को पेश हो।	
12-1-23	पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~ के अवकाश में रहने से पूर्ववत दिनांक 10-3-23 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
10-3-23	पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~ की छुट्टी(?) में रहने से पूर्ववत दिनांक 4-5-23 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
4-5-23	पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~ के अवकाश में रहने से पूर्ववत दिनांक 15-6-23 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
05/8/25	पत्रावली प्रार्थिया पक्ष वादी श्री कुंवारी प्रकाश राजीनामा के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने हेतु पेश/जोड़ने करने पर रखी की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण के उपस्थितगण की उपस्थिति में दोनों पक्षों ने राजीनामा पेश किया। वादीगण की पहचान श्री गजेन्द्र नागर एड0 द्वारा की तथा प्रतिवादी की पहचान श्री [illegible] नागर एड0 द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़ कर सुनाया गया। उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझकर कर स्वीकार किया गया। तथा अपनी रजामंदी जाहिर की जिनकी पहचान अभिभाषकगण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा रजामंदी व संतुष्टि के आधार पर तस्दीक किया जाकर शा0मि0 किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बारां	① जितेन्द्र नागर ② K [illegible] ③ मनोहर नागर I.D. [illegible] प्रतिवादी [illegible] Id. Sanjay [illegible]

निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 106/22
दायरा दिनांक :– 04.07.2022
निर्णय दिनांक :– 05/08/2025

उनवान

1. जितेन्द्र नागर आयु 40वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. कमल कुमार नागर आयु 37 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
3. मनोहर नागर आयु 33 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

3. बाबूलाल नागर आयु 65 वर्ष पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति धाकड निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 05/08/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री गजेन्द्र नागर एड0 – वादीगण
2. श्री संजय नागर एड0 – प्रतिवादीगण

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाके माल बामला पटवार हल्का बामला तह0 बारां में आराजी खाता संख्या नया 265 पुराना 254 से खसरा नं0 1200 रकबा 2.81 हे0 किस्म माल प्रथम खसरा नं0 1201 रकबा 1.66 हे0 किस्म माल प्रथम खसरा नं0 1265 रकबा 0.03 हे0 किस्म माल 2 खसरा नं0 1266 रकबा 0.33 हे0 किस्म माल 2 खसरा नं0 1267 रकबा 0.06 हे0 किस्म माल 2 खसरा नं0 1293 रकबा 0.13 हे0 किस्म खेडा, खसरा नं0 1430/1626 रकबा 1.05 हे0 किस्म माल 1 खसरा नं0 848 रकबा 0.32 हे0 किस्म चाही 2 खसरा नं0 849 रकबा 0.16 हे0 किस्म चाही 2 कुल किता 9 कुल रकबा 6.25 हे0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी में दर्ज है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र है। प्रतिवादी क्रम 1 को उक्त विवादित आराजियात अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुयी है। इस कारण प्रतिवादी क्रम 1 को विवादित आराजियात को रहन, बय व खुर्द बुर्द करने का अधिकार प्राप्त नही है। क्योकि वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी है जिनका विवादित आराजियात में जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी क्रम 1 विवादित आराजियात को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादी क्रम 1 को किसी भी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही है। क्योकि विवादित आराजियात पुश्तैनी है जिस पर वादीगण का भी बराबर हक व अधिकार प्राप्त है। इस कारण वादीगण विवादित आराजियात में जो वादी क्रम 1 ता 3 का प्रत्येक

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा निहित है जिस पर वादीगण मौके पर काबिज काश्त है की घोषणा करवाकर पृथक पृथक से अपनी अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। दिनांक 12.06.2022 को वादीगण को जब इस बात की जानकारी हुयी कि प्रतिवादी क्रम 1 विवादित आराजियात को बेचान कर रहे है तो वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से कहा कि हमें जानकारी मिली है कि आप उक्त विवादित आराजियात को बेचान व खुर्द बुर्द करना चाहते है इस पर प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण से कहा कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम दर्ज है मै चाहु जो करू तथा धमकी दी की मै विवादित आराजी को अब बेचान करूगा देखता हुॅ, मुझे कोन रोकता, तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 को उक्त विवादित आराजियात को बेचान करने से मना किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने कहा कि अब विवादित आराजियात को रहन बैचान या खुर्द बुर्द करके रहुगा। जिसकर प्रतिवादी क्रम 1 का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अस्तु वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्व अविलम्ब स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वाद पेश करने से पूर्व राज0 सरकार जरिये प्रतिनिधी जिला कलेक्टर बारां को नोटिस धारा 80 सीपीसी का अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवा दिया है जिसकी मियाद अभी समाप्त नही हुई है वाद आवश्यक प्रकृति का है। क्योकि प्रतिवादी क्रम 1 विवादित आराजियात को रहन बैचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इस कारण अविलम्ब न्यायालयी सहायता प्राप्त करना आवश्यक है अस्तु धारा 80(2) सीपीसी का आवेदन अलग पेश कर वाद पेश करने की अनुमति ले ली गयी है। विवादित आराजियात वाके ग्राम बामला तह0 बारां में स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। विवादित आराजियात वर्णित मद् नं0 1 वाद पत्र में वर्णित वाके ग्राम बामला पटवार हल्का बामला तह0 बारां में आराजी खाता संख्या नया 265 पुराना 254 से खसरा नं0 1200 रकबा 2.81 हे0 किस्म माल प्रथम खसरा नं0 1201 रकबा 1.66 हे0 किस्म माल प्रथम खसरा नं0 1265 रकबा 0.03 हे0 किस्म माल 2 खसरा नं0 1266 रकबा 0.03 हे0 किस्म माल 2, खसरा नं0 1267 रकबा 0.06 हे0 किस्म माल 2, खसरा नं0 1293 रकबा 0.13 हे0 किस्म खेडा, खसरा नं0 1430/1626 रकबा 1.05 हे0 किस्म चाही 2, खसरा नं0 849 रकबा 0.16 हे0 किस्म चाही 2 कुल किता 9 कुल रकबा 6.25 हे0 जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी में अंकित है, पर प्रतिवादी क्रम 1 के साथ साथ वादीगण का नाम अंकित करने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम प्रतिवादी क्रम 1 के साथ साथ अंकित किया जावें। विवादित आराजी वर्णित मद् नं0 1 वाद पत्र में वादीगण का जो हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है, जो घोषित किया जाकर पृथक पृथक से वादीगण की खातेदारी अंकित किया जावें तथा जुदागाना लगान भी कायम किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजियात वर्णित मद नं0 1 वाद पत्र को या उसके किसी भी भाग को कही रहन, बय बन्धक न तो स्वयं करें न अपने प्रतिनिधी/एजेन्टो से करावे तथा वादीगण मौके पर जिस जिस हिस्से पर काबिज है, पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवें। वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री [illegible] नागर एड0 का वकालत नामा पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादीगण ने अपने पक्ष के

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

समर्थन में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बामला सम्वत 2072–2075, खाता संख्या नया 265, पुराना खाता संख्या 254, नकल नोटिस 80 सीपीसी दिनांक 20.06.2022, फोटो प्रति आधार कार्ड जितेन्द्र नागर, फोटो प्रति आधार कार्ड कमल कुमार नागर, फोटो प्रति आधार कार्ड मनोहर नागर पेश किया गया। अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया।

प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में निम्न आशय का राजीनामा हो गया है कि वाद पत्र के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य खाता संख्या नया 265 पुराना 254 की आराजी खसरा नं0 1200 रकबा 2.81 हे0, खसरा नं0 1201 रकबा 1.66 हे0, खसरा नं0 1265 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 1266 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 1267 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 1293 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 1430/1626 रकबा 1.05 हे0, खसरा नं0 848 रकबा 0.32 हे0, खसरा नं0 849 रकबा 0.16 हे0 कुल 9 किता कुल रकबा 6.25 हे0 में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा 1/4, 1/4 हिस्सा संपूर्ण आराजियात में बंटवारा कर लिया है तथा राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज करने के आदेश व डिक्री जारी की जावें। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् को पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। उभय पक्षकारान् राजीनामा पढ व सुनकर स्वीकार किया गया, तथा राजीनामा एवं पत्रावली पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान् की सहमति एवं सन्तुष्टि के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजियात वाके माल बामला पटवार हल्का बामला तह0 बारां में आराजी खाता संख्या नया 265 पुराना 254 से खसरा नं0 1200, 1201, 1265, 1266, 1267, 1293, 1430/1626, 848, एवं 849 कुल किता 9 कुल रकबा 6.25 हे0, में से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य 1/4, 1/4 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 106/22	**धारा अन्तर्गत 88,89,90,91,92,53,188 आर टी एक्ट**	अन्तिम निर्णय दिनांक : 05/08/2025
समक्ष : **श्री विश्वजीत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री गजेन्द्र नागर एड0	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री संजय नागर एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. जितेन्द्र नागर आयु 40वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
2. कमल कुमार नागर आयु 37 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
3. मनोहर नागर आयु 33 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

3. बाबूलाल नागर आयु 65 वर्ष पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति धाकड निवासी ग्राम बामला तहसील बारां जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

--प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है किः–

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजियात वाके माल बामला पटवार हल्का बामला तह0 बारां में आराजी खाता संख्या नया 265 पुराना 254 से खसरा नं0 1200, 1201, 1265, 1266, 1267, 1293, 1430/1626, 848, एवं 849 कुल किता 9 कुल रकबा 6.25 हे0, में से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य 1/4, 1/4 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है

साथ ही नियमानुसार.................................रू0 का व्ययानुतोष......................द्वारा............. को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 05/08/2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां
उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	**व्यय मद**	**वादी**	**प्रतिवादी**
1	वद पत्र/लिखित कथन		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज ( )		
10	योग		